न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 6/2022 **दायर दिनांकः 27/09/2022**

उनवान

1. अमरसिंह आयु 42 वर्ष पुत्र रणजीतसिंह जाति राव राजपूत
2. प्रकाशकंवर आयु 58 वर्ष पुत्री रणजीतसिंह जाति राव राजपूत
3. मधुकंवर आयु 50 वर्ष पुत्री रणजीतसिंह जाति राव राजपूत
4. सुमित्रा आयु 47 वर्ष पुत्री रणजीतसिंह जाति राव राजपूत
5. मन्जू आयु 42 पुत्री रणजीतसिंह जाति राव राजपूत निवासीगण रहलाई जागीर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अपीलान्टस

बनाम

1. सरपंच/सचिव महोदय ग्राम पंचायत मूण्डला बिसोती पंचायत समिति अटरू जिला बारा (राज0)।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

रेस्पोडेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 75 (डी) एल0आर0एक्ट0
विरूद्ध इन्तकाल नं0 526 दिनांक 20/05/2022
ग्राम पंचायत मूण्डला बिसोती

उपस्थिति :–
अपीलांटस :–विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय

दिनाकः 20/04/2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांटस उपस्थित। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील ग्राम पंचायत मूण्डला बिसौती के नामान्तरण आदेश 526 दिनांक 20.05.2022 के विरूद्ध पेश की गई जिसे न्यायालय द्वारा दर्ज रजि0 किया गया।

2. इस अपील के निस्तारण हेतु सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलान्टस ने यह अपील इस आशय की पेश की है कि इन्तकाल नं. 526 दिनांक 20.05.2022 ग्राम पंचायत

मूण्डला बिसोती गैर कानूनी होने से काबिल खारिज फरमाया जावे। ग्राम पंचायत मूण्डला बिसोती द्वारा वक्त इन्तकाल तस्दीक करते वक्त पटवार हल्का मूण्डला बिसोती द्वारा मृतक रणजीतसिंह द्वारा अपीलान्टस के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 06.10.2020 के आधार पर फौती नामान्तरण दर्ज नहीं करके मृतक रणजीतसिंह के सभी वारिसान के पक्ष में फौती नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। जबकि वसीयत नामा के आधार पर ही अपीलान्टस के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक करना चाहिए था। रणजीतसिंह की मृत्यु दिनांक 06.02.2022 को हो चुकी है। इसलिए उक्त इन्तकाल नं0 526 विरूद्ध कानून है। फौती इन्तकाल नं0 526 रणजीतसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र व वसीयत नामा की प्रति साथ में संलग्न है। वाके ग्राम रहलाई पटवार हल्का मूण्डला बिसोती की नई खाता संख्या 145 का ख0नं0 256 का रकबा 1.14 है0 आराजी स्व0 रणजीतसिंह की स्वअर्जित संपत्ति है। जिसका वसीयत नामा रणजीतसिंह ने अपने जीवनकाल में उप पंजीयक कार्यालय अटरू में दिनांक 06.10.2020 को रजिस्टर्ड करवा दिया था इसलिए वसीयत नामा के आधार पर अपीलांटस ग्राम पंचायत मूण्डला बिसोती द्वारा तस्दीक किये गये फौती नामान्तरण संख्या 526 दिनांक 20.05.2022 को निरस्त करवाकर अपने पक्ष में नामान्तरण तस्दीक करवाने के अधिकारी है। जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस की प्रति साथ में संलग्न है। वर्तमान में दर्ज खाता संख्या 145 का ख0नं0 256 का रकबा 1.14 है0 आराजी पुराने ख0नं0 225 का रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा से बना है। उक्त आराजी स्व0 रणजीतसिंह ने तत्कालीन खातेदार माधोलाल पुत्र भंवरलाल जाति धाकड निवासी रहलाई से जर्ये रजिस्टर्ड बेनामा क्रय की है। नकल जमाबंदी संवत 2036 से 2039 सेटलमेन्ट जमाबंदी मिलान क्षेत्रफल की प्रति साथ में संलग्न है। अपीलान्टस ने के0सी0सी0 ऋण लेने हेतु पटवार हल्का मूण्डला बिसोती से दिनांक 14.08.2022 को जमाबंदी की नकल मांगी तब पटवार हल्का द्वारा खाते में स्व0 रणजीतसिंह के सभी वारिसान का नाम होने की जानकारी दी गई। उसके बाद जमाबंदी की प्रतियां व इन्तकाल नं0 526 की नकल प्राप्त की। दिनांक 14.08.2022 से अपील अन्दर मियाद माननीय न्यायालय में पेश की गई है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ पेश किया गया है। अपील मध्य उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अपीलान्टस निवेदन करते है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल नं0 526 दिनांक 20.05.2022 ग्राम पंचायत मूण्डला बिसोती खारिज फरमाया जाकर खाता संख्या 145 का ख0नं0 256 का रकबा 1.14

है0 में वसीयत नामा के आधार पर अपीलान्टस का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज किये जाने के आदेश रेस्पोडेन्ट क्रम 2 को प्रदान करने की कृपा करें।

3. अपील दर्ज रजिस्टर किया गया तथा रेस्पोडेन्टस की तलबी जर्ये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 बावजूद सूचना नियत तारीख पेशी दिनांक 12.12.2022 पर उपस्थित नही होने के कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा जवाब अपील पेश नहीं करने के कारण जवाब अपील बन्द कर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4. प्रकरण में रेस्पोडेन्ट/नोनअपीलांट क्रम 1 ग्राम पंचायत मूण्डला बिसोती द्वारा मृतक खातेदार रणजीतसिंह पुत्र भीमसिंह निवासी रहलाई की कृषि आराजी पर रजि0 वसीयत दिनांक 06.10.2020 के आधार पर इंतकाल तस्दीक न करके सभी कानूनी वारीसानों के पक्ष में विरासत का इंतकाल संख्या 526 तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरण आदेश से व्यथीत होकर अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील पेश की गई।

5. अपीलांटस द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य ग्राम रहलाई की जमाबंदी संवत 2072–75, ग्राम रहलाई के नामान्तरण संख्या 526 दिनांक 20.05.2022 की सत्य प्रतिलिपी, मृतक रणजीत सिंह पुत्र भीमसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 16.02.2022 की ईहस्ताक्षरीत प्रति, रजि0 वसीयतनामा दिनांक 06.10.2020 की प्रति, ग्राम रहलाई की जमाबंदी संवत 2072–75 की प्रति, ख0नं0 256 के भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल की नकल, ग्राम रहलाई की जमाबंदी संवत 2036–39, व भू प्रबंध विभाग की ग्राम रहलाई की जमाबंदी सन 1989 से 2009 पेश किये गये।

6. अभिभाषक अपीलान्टस् की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक अपीलान्टस ने अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रहलाई पटवार हल्का मूण्डला बिसोती की खाता संख्या 145 का ख0नं0 256 का रकबा 1.14 है0 आराजी स्व0 रणजीतसिंह की स्वअर्जित संपत्ति थी जो उसने मूल खातेदार माधोलाल पुत्र भंवरलाल धाकड से क्रय की थी। खातेदार रणजीतसिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी की वसीयत लिखकर उप पंजीयक कार्यालय अटरू में दिनांक 06.10.2020 को रजिस्टर्ड करवा दी थी। खातेदार रणजीत सिंह की मृत्यु दिनांक 06.02.2022 को होने के बाद ग्राम पंचायत मूण्डला बिसोती द्वारा उकत रजि0 वसीयतनामा को नजरअंदाज कर विरासत के आधार पर खातेदार रणजीतसिंह के समस्त कानूनी वारीसानों के नाम

फौती इंतकाल संख्या 526 दिनांक 20.05.2022 तस्दीक कर दिया गया जो कि प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य होने से खारिज किये जाने योग्य है।

7. अभिभाषक अपीलांटस द्वारा यह भी तर्क किया गया कि विवादित आराजी ख0नं0 256 रकबा 1.14 है0 मृतक खातेदार की स्वअर्जित संपत्ति है और कोई हिन्दू व्यकित अपनी स्वअर्जित संपत्ति की वसीयत/दान/विक्रय आदि करने के लिए कानूनी रूप से स्वतत्र व सक्षम है। मृतक खातेदार रणजीतसिंह द्वारा विवादित आराजी को रजि0 वसीयतनामा द्वारा अपीलांटगण को वसीयत किया था। अतः उक्त रजि0 वसीयत नामा के आधार पर अपीलांटस, ग्राम पंचायत मूण्डला बिसोती द्वारा तस्दीक किये गये फौती नामान्तरण संख्या 526 दिनांक 20.05.2022 को निरस्त करवाकर अपने पक्ष में नामान्तरण तस्दीक करवाने के अधिकारी है।

8. अभिभाषक अपीलांटस की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांटस द्वारा पेश ग्राम रहलाई की जमाबंदी संवत 2036–39 के अनुसार साबिक ख0नं0 225 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा माधोलाल पुत्र भंवरलाल जाति धाकड के खाते दर्ज थी। भू प्रबंधन के दौरान साबिक ख0नं0 225 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा से नया ख0नं0 256 रकबा 1.14 है0 बनाया गया। अपीलांट द्वारा पेश ग्राम रहलाई की भू प्रबंध विभाग की जमाबंदी सन् 1989 से 2009 के अनुसार नया ख0नं0 256 रकबा 1.14 है0 रणजीतसिंह पुत्र भीमसिंह **जाति राव राजपूत** के खाते दर्ज है। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर यह तथ्य साबित है कि विवादित आराजी हाल ख0नं0 256 रकबा 1.14 है0 यानी पुराना ख0नं0 225 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा खातेदार रणजीतसिंह को अपने पिता से प्राप्त न होकर मूल खातेदार माधोलाल पुत्र भंवरलाल **जाति धाकड** से प्राप्त हुई थी। यह अन्तरण विक्रय से हुआ या दान आदि से हुआ स्पष्ट नहीं है। **अतः ग्राम रहलाई की विवादित आराजी हाल ख0नं0 256 रकबा 1.14 है0 मृतक खातेदार/वसीयतकर्ता रणजीतसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राव राजपूत की स्वअर्जित संपत्ति होना प्रमाणित होता है और इसीलिए खातेदार रणजीतसिंह को उक्त कृषि आराजी पर रहन, बेचान, दान, वसीयत आदि का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।**

9. अपीलार्थीगण द्वारा पेश रजि0 वसीयतनामा दिनांक 06.10.2020 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 16.02.2022 के अनुसार मृतक खातेदार रणजीतसिंह पुत्र भीमसिंह द्वारा अपनी स्वअर्जित संपत्ति ख0नं0 256 रकबा 1.14 है0 की वसीयत अपने जीवनकाल में अपीलार्थी क्रम 1 ता 5

अमरसिंह, प्रकाश, मंजू, मधु, हिम्मतसिंह पुत्र/पुत्री रणजीतसिंह के पक्ष में की गई। पत्रावली पर रेस्पोडेंटगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त वसीयतनामा दिनांक 06.10.2020 को खारिज किया गया हो।

10. ग्राम पंचायत मूण्डला बिसोती द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 526 दिनांक 20.05.2022 की नामान्तरण पंजिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक खातेदार रणजीतसिंह पुत्र भीमसिंह की आराजी ख0नं0 256 रकबा 1.14 है0 पर पटवारी पटवार हल्का मूण्डला बिसौती द्वारा **प्रार्थी के प्रार्थना पत्र** एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर कानूनी वारीसानों की जांच कर विरासत का फौती इंतकाल संख्या 526 खोला गया जिसे ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी टिप्पणी के दिनांक 20.05.2022 को स्वीकृत किया गया। यह प्रार्थी कौन है जिसने पटवारी मूण्डला बिसौती को विरासत का इंतकाल खोलने का प्रार्थना पत्र दिया था– अपीलार्थीगण द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थीगण द्वारा पटवारी पटवार हल्का मूण्डलाबिसौती एवं ग्राम पंचायत मूण्डलाबिसोती की कोरम को मृतक खातेदार रणजीतसिंह द्वारा की गई उक्त रजि0 वसीयत को पेश किया गया हो। अतः स्पष्ट है कि जब पटवारी या ग्राम पंचायत को मृतक रणजीतसिंह द्वारा किया गया रजि0 वसीयतनामा प्रस्तुत ही नहीं किया गया था तब पटवारी या ग्राम पंचायत द्वारा वसीयत के आधार पर इंतकाल कैसे खोला जायेगा ? **उक्त वसीयतनामें के अभाव में पेश मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर सभी कानूनी वारीसानों के नाम इंतकाल संख्या 526 तस्दीक किये जाने में कोई कानूनी त्रुटी नहीं है।**

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य साबित है कि मृतक खातेदार एक हिन्दू है और विवादित आराजी ख0नं0 256 मृतक रणजीतसिंह पुत्र भीमसिंह की स्वअर्जित संपत्ति है तथा उक्त संपत्ति का अपने जीवनकाल में अपीलार्थीगण के पक्ष में वसीयत लिखकर उसे उपपंजीयक कार्यालय अटरू में पंजीकृत कराया गया है। **उक्त पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 06.10.2020 को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने का भी कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है**। अतः ग्राम पंचायत मूण्डला बिसौती द्वारा विरासत के आधार पर खोला गया इंतकाल संख्या 526 दिनांक 20.05.2022 अवैध व प्रभाव शून्य होने से खारिज किये जाने योग्य है।

–::<u>क्रियात्मक आदेश</u> ::–

उपरोक्त विवेचन एवं रजि0 वसीयतनामा दिनांक 06.10.2020 के आधार पर अपीलान्टस की अपील अन्तर्गत धारा 75 (डी) एल0आर0 एक्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम रहलाई की आराजी खाता संख्या 145 ख0नं0 256 का रकबा 1.14 है0 पर ग्राम पंचायत मूण्डलाबिसोती द्वारा खोला गया फौती नामान्तरण संख्या 526 दिनांक 20.05.2022 **खारिज** किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि अपीलान्टस के पक्ष में करवाये गये रजि0 वसीयतनामा दिनांक 06.10.2020 के आधार पर पुनः जांच कर नियमानुसार नामान्तरण तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 20/04/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां